96 —

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14 / अ0प्र0–14–346 / 2025 4864 / पटना, दिनांक– 21.4.26

संवेदक Niraj Kumar (Reg. No. 4180/14), Add:- At-Rupwara, P.O-Madhopur Chhata, P.S-Tariyani, Dist-Sheohar, Bihar Pincode-8431028 को कार्य प्रमंडल, शिवहर के अधीन MMGSY (GEN) योजनान्तर्गत चकफतेह से हनुमान नगर पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्याः–SBD06/2014-15 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 31.12.2014 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 30.06.2015 था।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

तद्आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर के पत्रांक 852 दिनांक 31.05.2025 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशसां के आलोक में विभागीय पत्रांक 667 अनु0 दिनांक 16.01.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर के पत्रांक 456 दिनांक 23.03.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक द्वारा पथ निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु 15 दिनों का समयावृद्धि प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। संवेदक द्वारा पथ निर्माण कार्य को पूर्ण करने की दिशा में आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि कार्य पूर्ण करने की दिशा में संवेदक द्वारा कोई अभिरूची नहीं ली जा रही है।

इससे स्पष्ट है कि संदर्भित पथों का निर्माण कार्य ससमय नहीं किया जाना, संवेदक Niraj Kumar (Reg. No. 4180/14) पूर्णतः दोषी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Niraj Kumar (Reg. No. 4180/14), Add:- At-Rupwara, P.O-Madhopur Chhata, P.S-Tariyani, Dist-Sheohar, Bihar Pincode-8431028 के निबंधन संख्याः– 4180/14, PAN No.BLEPK8737Q को अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

20.04.26
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–346 / 2025 4864 / पटना, दिनांक– 21.4.26

बंधित

प्रतिलिपि– संवेदक Niraj Kumar (Reg. No. 4180/14), Add:- At-Rupwara, P.O-Madhopur Chhata, P.S-Tariyani, Dist-Sheohar, Bihar Pincode-8431028 को सूचनार्थ प्रेषित।

20.04.26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–346 / 2025 4864 / पटना, दिनांक– 21.4.26

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.04.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–346 / 2025 4864 / पटना, दिनांक– 21.4.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20.04.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–346 / 2025 4864 / पटना, दिनांक– 21.4.26

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.04.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–346 / 2025 4864 / पटना, दिनांक– 21.4.26

Website

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

20.04.26

अभियंता प्रमुख